

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 53/2020

तारीख रजू 06.02.2020

रामलाल पुत्र रामकुंवार जाति जाट निवासी महापुरा तह०चौथ का बरवाडा। — अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

— रेस्पों

निर्णय

दिनांक.....10/5/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 278/2019 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम महापुरा के आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0.08 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पों की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अपीलान्त का खसरा नम्बर 375 रकबा 0.08 वाके ग्राम महापुरा को अतिक्रमी मानते हुए तीन माह की सिविल जेल से दण्डित किया है जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्त का कब्जा नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सजा से दण्डित करने में भारी भूल की है। यह है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस भी नहीं दिया है तथा अपीलान्त की प्रोपर तामील भी नहीं हुई है। यह है कि अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना यह निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी

12
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



नहीं माना जा सकता । अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया ।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा सम्बन्त 2075 में भी उक्त खसरा नम्बर 375 पर अतिक्रमण किया था जिसके निर्णय की प्रमाणित छायाँ प्रति अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्ट को स्वयं को नोटिस तामील करायी गयी अपीलान्ट बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 10.10.2019 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2019 की प्रमाणित छायाँ प्रति सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा सम्बन्त 2075 में भी अतिक्रमण किया गया था तथा कब्जा नहीं छोडने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सम्बन्त 2076 में पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुये 3 माह के सिविल कारावास के साधार दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/5/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर